कृषि उपज विपणन समिति, मण्डी (स्थित कांगणी) जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015

भाग–एक

1. गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन विधेयक 2006 की धारा 48(2) के दृष्टिगत, कृषि उपज विपणन समिति मण्डी, स्थित कांगणी, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण इस विभाग द्वारा पूर्वाकेक्षण के आधार पर किया गया है।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी कृषि उपज विपणन समिति में अध्यक्ष एवं सचिव के पद पर कार्यरत रहेः–

क्र0 सं0	नाम	पद	अवधि
1.	श्री हरिन्द्र सेन	अध्यक्ष	1.4.2014 से 31.3.2015
2.	श्री नेत्र सिंह नायक	सचिव	1.4.2014 से 14.8.2014
3.	श्री राघव सूद	सचिव	14.8.2014 से 31.1.2015
4.	श्री प्रकाश कश्यप	सचिव	31.1.2015 से 31.3.2015

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	विवरण	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1.	मण्डी समिति की आय से सम्बन्धित राशि का बैंक में जमा न पाया जाना	4(ध)(i)	0.93
2.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	7	110.12
3.	विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु जारी की गई अग्रिम राशियों का समायोजन न करना	8	1.95
4.	दुकानों के लम्बित किराए के रूप में राशि वसूली हेतु शेष	9	10.28
5.	नियमानुसार किरायेदारों का किराया न बढ़ाने के कारण वित्तीय हानि	11	3.63

6.	दुकानदारों द्वारा किराया नियमित रूप से न देने के कारण ब्याज की हानि	12	0.57
7.	थोक अनाज व्यपारियों द्वारा रिर्टन में आयतित मॉल की प्रविष्टियां दर्ज न करने के कारण वित्तीय हानि	13	0.47
8.	दुकानों से प्राप्त किराए पर दुकानदारों से सेवाकर न वसूलने के फलस्वरूप हानि	15	13.30
9.	कृषि उपज मण्डी समिति के कांगणी यार्ड में स्थापित धर्मकांटे की बाडबंदी पर अनुपयोगी व्यय	16	0.70

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी), जिला मण्डी के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों का विवरण परिशिष्ट–(क) पर दिया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक 82 पैरे अनिर्णीत शेष थे। अतः अनिर्णीत पैरों के समायोजन हेतु यथाशीघ्र उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

(ङ) आय व व्यय के मुख्य साधनः–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी), जिला मण्डी के आय के मुख्य साधन/स्त्रोत व्यापारियों से मण्डी शुल्क के रूप में वसूलियां, दण्ड शुल्क, पंजीकरण शुल्क विभिन्न फर्मों की बिक्री से आय, दुकानों का किराया तथा जमा राशियों पर अर्जित ब्याज इत्यादि शामिल है। इसके अतिरिक्त मण्डी समिति द्वारा स्थापना, निर्माण कार्यों गाड़ी के रख–रखाव लेखन सामग्री के मुद्रण मानदेय यात्रा भत्ता व कार्यालय व्यय इत्यादि मुख्य मदों पर व्यय किया गया है।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री मोहिन्द्र कुमार अनुभाग अधिकारी व श्री विजय कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा पूर्वाकेक्षण के आधार पर किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को समिति के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है कि जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹1484567 आंका गया है, जिसे समिति द्वारा चैक संख्याः 842425, दिनांक 2.1.2016 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 सरकार को भेज दिया गया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

(क) मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) की वर्ष 2014–15 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिस का विस्तृत विवरण परिशिष्ट–(ख) पर भी दिया गया है।

प्रारम्भिक शेष	34812461.65
वर्ष में प्राप्त आय	41781662.50
वर्ष में प्राप्त ब्याज	1633390.00
कुल योग	**78227514.15**
वर्ष में भुगतान की गई राशि	42767199.00
शुद्ध जमा राशि	**35460315.15**

(ख) बैंक बचत खातों के अनुसार 31.3.2015 को अन्तिम शेष की राशि का विवरण

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक सरकाघाट	6623	45451.00
2.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक अवाहदेवी	103	25746.00
3.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक चौन्तडा	4123	1020720.00
4.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक नगवाई	2806	1808328.15
5.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक वलदवाडा	4770	37525.00
6.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक चैलचौक	1129	948069.00
7.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक मण्डी	5182	1650409.47
8.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक सुन्दरनगर	7290	74800.86
9.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक धनोटू	104	2740680.00
10.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तत्तापानी	163571	325485.07

11.	आई0डी0बी0आई बैंक मण्डी	2248	3308233.60
12.	एच0डी0एफ0सी0 बैंक मण्डी	38589	95382.00
13.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक धनोटू	(एफ0डी0आर0)	5465417.00
14.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक धनोटू	(एफ0डी0आर0)	2300000.00
15.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक टकोली	(एफ0डी0आर0)	5465417.00
16.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक मण्डी	(एफ0डी0आर0)	5000000.00
17.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक मण्डी	(एफ0डी0आर0)	3000000.00
18.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक तत्तापानी	(एफ0डी0आर0)	2100000.00
		कुल योग	**₹3541164.15**

(ग) बैंक समाधान विवरणिकाः–

रोकड़ वही/वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तशेष	**₹35460315.15**
बचत खातों व सावधि जमा योजना में जमा राशि	**₹35411664.15**
अन्तर	**₹48651.00**

(घ) अन्तर के कारणः–

निम्नलिखित विवरणानुसार रोकड़ वही में आय की प्रविष्टियां दर्ज की गई थी, परन्तु आय की यह राशि बैंक में जमा नहीं हुई।

क्र0 सं0	बैंक का नाम	चैक सं0	दिनांक	राशि
	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक चैलचौक	382748	31.12.12	(+) **92940.00**

विभिन्न फर्मों को चैक द्वारा किया गया भुगतान जो बैंक द्वारा नहीं किया गया।

क्र0 सं0	**बैंक का नाम**	**चैक सं0**	**राशि**	**योग**
1.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक मण्डी	2528	3000	
2.	–यथोपरि–	2534	3000	
3.	–यथोपरि–	2535	3000	
4.	–यथोपरि–	2536	3000	
5.	–यथोपरि–	2537	3000	
6.	–यथोपरि–	2538	3000	
7.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक मण्डी	2539	3000	
8.	–यथोपरि–	2540	3000	
9.	–यथोपरि–	2541	8352	
10.	–यथोपरि–	2549	3000	
11.	–यथोपरि–	2550	2990	
12.	हि0प्र0 को–आपरेटिव बैंक मण्डी	16803	5947	
		कुल योग	**₹44289**	**(–)44289**
		शुद्ध अन्तर	**₹48651.00**	

शुद्ध अन्तर ₹92940–₹44289=₹48651.00

नोटः (i) उक्त वर्णित समाधान विवरणिका अनुसार चैक संख्याः 382748, दिनांक 31.12.2012 द्वारा बैंक में जमा दर्शाई गई ₹92940 की सम्बन्धित व्यापारी से वसूली हेतु कृषि उपज विपणन समिति द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा उक्त राशि को वसूल करके रोकड़ वही का मिलान किया जाए। यह गम्भीर अनियमितता गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2013 से 31.3.2014 के पैरा 4(घ)(1) में भी दर्शित है।

(ii) कृषि उपज विपणन समिति द्वारा मण्डी समिति की वर्ष 2014–15 की माह मार्च 2015 की बैंक विवरणियां व दिनांक 31.3.2015 को अन्तशेष के प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप दिनांक 31.3.2015 को बैंक अन्तशेष का रोकड़ वही से सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः सभी बैंक खातों की विवरणी व अन्तशेष प्रमाण सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाएं।

(ड़) निवेशः–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी, (स्थित कांगणी) के लेखों के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 के दौरान निवेशित राशि का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	एफ0डी0आर0सं0 / दिनांक / बैंक का नाम	निवेश तिथि	निवेशित राशि	अवधि	ब्याज दर	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	टिप्पणी
1.	406619 / 9.10.14 / हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक धनोटू	8.10.14	5465417	12 माह	9%	8.10.15	5974156	
2.	1598137 / 23.1.15 / हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक धनोटू	23.1.15	2300000	12 माह	9%	23.1.16	2514002	
3.	1191016 / हि0प्र0 को–ओपरेवि बैंक टकोली	18.12.14	5465417	12 माह	9%	12.12.15	5974156	
4.	1502594 / हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक मण्डी	23.12.14	5000000	12 माह	9%	23.12.15	5465417	
5.	31730109747 / हि0प्र0 को–ओपरेटिव	14.10.14	4500000	45 दिन	6%	28.11.14	4533288	Matured Principal along with

	बैंक मण्डी							interest taken in cash book
6.	5030059811238 /हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक मण्डी	8.9.14	3000000	12 माह	9%	9.9.15	3280055	
7.	65210053472/ स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, तत्तापानी	13.9.14	2100000	12 माह	9.1%	13.9.15	2298844	
	कुल निवेशित राशि		**₹27830834**					

(च) अनुदानः–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) की रोकड़ वही अनुसार समिति को वर्ष 2014–15 में निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुए हैं। उक्त अनुदान से सम्बन्धित अभिलेख व अनुदान का उद्धेश्य जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए तथा अनुदान को सम्बन्धित उद्धेश्य हेतु व्यय करने उपरान्त सम्बन्धित संस्था को उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

रोकड़ वही पृ0 सं0	दिनांक	ग्रांट देने वाली संस्था विभाग का नाम	राशि ₹	उद्धेश्य
181	31.8.14	जिलाधीश, मण्डी	100000	C/o Pucca Path at Dhanotu & Stair
253	31.12.14	हि0प्र0 विपणन बोर्ड	6000000	C/o SMY Joginder Nagar
		कुल योग	**₹6100000**	

(छ) तुलन पत्रः–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी स्थित कांगणी का दिनांक 31.3.2015 तक तुलन पत्र, जोकि चार्टर्ड आकाउटेंट द्वारा तैयार किया गया है परिशिष्ट–(ख) में संलग्न है। तुलन पत्र में ₹27779 के गलत चैकों की प्रविष्टि दर्शाई गई है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त तुलन पत्र में वर्णित आंकड़ों में आय तथा व्यय की विभिन्न मदें मण्डी समिति के आय व व्यय के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। अतः चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार किए गए तुलन पत्र के आंकड़ों तथा मण्डी समिति के आय तथा व्यय के आंकड़ों में अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुए इनका मिलान किया जाए।

5. विभिन्न बचत खातों में आवश्यकता से अधिक ₹120.81 लाख जमा रखने बारे :–

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत लेखों की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को विभिन्न बैंक बचत खातों में ₹12080830.15 की राशि जमा थी परिशिष्ट–(ग) जिससे सावधि निवेश की तुलना में बहुत कम ब्याज प्राप्त हो रहा है। अतः नियमित भुगतानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त राशि में से समुचित भाग सावधि निवेश सुनिश्चित किया जाए, ताकि मण्डी समिति को ब्याज के रूप में अत्याधिक लाभ प्राप्त हो सके।

6. गत वर्षों की तुलना में मण्डी समिति की आय में कमी पाया जाना :–

कृषि उपज मण्डी समिति की वर्ष 2014–15 की आय विवरणी की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित शीर्षों में गत वर्षों की तुलना से आय में गिरावट आई है, जबकि कृषि से सम्बन्धित वस्तुओं के मूल्य में व लाईसैन्स धारियों की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप इन शीर्षों में आय में वृद्धि दर्ज की जानी वांछित थी। अतः इस मामले की संस्था स्तर पर जांच करके मण्डी समिति की आय में वृद्धि हेतु उचित कदम उठाए जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा इस प्रकार के प्रकरणों की माह बार समीक्षा के उपरान्त सम्बन्धित/अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	चैक पोस्ट/यार्ड का नाम/शीर्ष का नाम	गत तीन वर्षों में आय के आंकड़े		
		2012–13	2013–14	2014–15
1.	Market fee check post.			
	(a) Timber/Wood Forest Produce	112122	152566	69442
	(b) Milk & Milk Products	51040	34584	8763
	(c) Wood	7298	2912	Nil
	(d) Meat & Animal Huslandry Products	153674	200752	86074
2.	Market fee from yards			
	(a) Timber/Wood & Forest Produce	2545817	3082489	1401804
	(b) Milk/Milk Products	1883727	1555586	1393984

7. निर्माण कार्य से सम्बन्धित ₹110.13 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं करना :–

अंकेक्षण अवधि के दौरान कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड शिमला के पास डिपोजिट वर्क के रूप

में निम्न विवरणानुसार ₹11012676 की राशि जमा करवाई गई थी, जिससे सम्बन्धित पत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए।

वा0 सं0	दिनांक	कार्य का नाम	राशि ₹
18	9.4.13	Repair of Stair 1/F Shop No. 1 to 7	66199
18	9.4.13	Removal of slip	111220
18	9.4.13	C/o Collection centre leda	17600
376	2.12.13	P/F interlock chain fencing	199442
376	2.12.13	C/o Wall from RD 0/092 to 0/137	904007
376	2.12.13	P/F interlock chain Karsog	853681
499	5.3.14	P/F 2 No. in and out gate	45500
528	22.3.14	C/o ATM booth, Strong Room Dhanotu	727252
20	10.4.14	E/I at SMV Karsog	133104
50	27.4.14	C/o Collection Centre at Janjahali	97132
125	4.7.14	C/o Collection Center at Rohanda	289959
150	27.7.14	C.C Flooring, Sides of Drain Takoli	30231
158	29.7.14	P/F Gate for Bank, Painting of Jafri Work Dhanotu	37372
173	8.8.14	C/o Stair in front of Shop 23 & 27 Dhanotu	234300
173	8.8.14	C/o Stair to plateform, Protection to weig Bridge at Kangani	662516
189	27.8.14	E/I in 20 Shops Takoli	18340
189	27.8.14	Prov. C.C. Pavement, Drainage System Raising of Chambers at Kangani	4072048
319	18.11.14	Prov. Premix Carpert Yard Takoli	650064
319	18.11.14	P/L Renewal Coat of Premix Dhanotu	742295
355	19.12.14	C/o Action Plateform Chail Chowk	403901
384	23.1.15	C/o Toilet at Dhanotu	40000
385	23.1.15	R/m Sub yard Dhanotu	228559
468	18.3.15	C/o Sockpit, Garbage Collection Takoli	182671
468	18.3.15	C/o Collection Centre at Harabag	106883
		कुल योग	**₹11012676**

अतः निर्माण कार्य हेतु विपणन बोर्ड के पास जमा करवाई राशियों तथा पूर्व में जमा करवाई गई राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं।

8. अस्थाई अग्रिम ₹1.95 लाख समायोजन हेतु शेष :–

कृषि उपज विपणन समिति द्वारा समय–समय पर विभिन्न उद्धेश्यों हेतु अग्रिम राशियां प्रदान की गई थीं, जिनमें से दिनांक 31.3.2015 को निम्न विवरणानुसार ₹195000 का समायोजन नहीं किया गया। अतः इन अग्रिमों के समायोजन लेखे अंकेक्षण में जांच हेतु शीघ्र प्रस्तुत करने सुनिश्चित किए जाएं।

क्र0 सं0	अग्रिम प्राप्तकर्ता	वा0सं0 / दिनांक	अग्रिम का उद्धेश्य	राशि ₹
1.	श्री जिया लाल लिपिक	126 / 9.9.2008	शासकीय डाक टिकटों की खरीद हेतु	2000
2.	श्री चौहान सिंह चपड़ासी	201 / 10.12.2008	शासकीय डाक टिकटों की खरीद हेतु	2000
3.	श्री राम लिपिक	259 / 11.2.2009	शासकीय डाक टिकटों की खरीद हेतु	2000
4.	श्री राम लिपिक	41 / 25.4.2009	शासकीय डाक टिकटों की खरीद हेतु	2000
5.	श्री राम लिपिक	47 / 25.6.2009	शासकीय डाक टिकटों की खरीद हेतु	2000
6.	श्री हरमेश सिंह चालक	22 / 11.4.2012	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	20000
7.	श्री गुरनाम सिंह	375 / 16.2.2013	किसानों के प्रशिक्षण हेतु	20000
8.	श्री राजेश जोशी	349 / 22.11.2013	शासकीय डाक टिकटों की खरीद हेतु	2000
9.	श्री गुरनाम सिंह	545 / 29.3.2014	गारवेज कन्टेनर खरीद हेतु	88000
10.	श्री कुलदीप सिंह चालक	23 / 16.4.2014	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	5000
11.	श्री कुलदीप सिंह चालक	359 / 20.12.2014	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	10000
12.	श्री कुलदीप सिंह चालक	406 / 7.2.2015	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	10000
13.	श्री गुरनाम सिंह	455 / 16.3.2015	किसानों के प्रशिक्षण हेतु	20000
14.	श्री हरमेश सिंह	498 / 25.3.2015	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	10000
			कुल योग	**₹195000**

9. दुकानों के लम्बित किराए के रूप में वसूली योग्य ₹10.29 लाख का शेष पाया जानाः–

मण्डी समिति के विभिन्न यार्डों के किराए के मांग एवं संग्रह रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 तक निम्न विवरणानुसार विभिन्न यार्डों के दुकानदारों से किराये की ₹1028725 वसूली हेतु शेष थी, इतनी अधिक राशि का वसूली हेतु लम्बित रहना स्वतः ही चिन्ताजनक है, जिससे निश्चित तौर पर मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति का तो प्रतिकूल असर पड़ा ही है तथा साथ में मण्डी समिति को ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय से वन्चित रहने के कारण आवश्यक रूप से हानि उठानी पड़ रही है। अतः किराए की लम्बित राशियों को विहित अनुदेशों/शर्तों के अनुसार तुरन्त वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	यार्ड का नाम	लम्बित राशि
1.	कांगणी यार्ड	340535
2.	धनोटू यार्ड	171720
3.	जोगिन्द्रनगर यार्ड	206370
4.	टकोली यार्ड	305300
5.	चैलचौक यार्ड	Nil
6.	पाली यार्ड	4800
	कुल योग	**₹1028725**

10. कृषि उपज मण्डी समिति के विभिन्न यार्डों में नई दुकानों के आवंटन, किराया निर्धारण से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे :–

कृषि उपज मण्डी समिति के कांगणी यार्ड के दुकानों के किराए रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित दुकानदारों/फर्मों को दुकानें आवंटित की गई थीं, जिनका किराया निर्धारण व आवंटन प्रक्रिया का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे अन्य यार्डों के स्वरूप प्रकरणों सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	दुकान नं0	फर्म, जिसे आवंटित की गई	दिनांक	किराया निर्धारित
1.	2	M/s Geeta Fruit Co.	22.7.2014	3000
2.	14	M/s Jalpa Fruit Co.	10.7.2014	2753

3.	27	M/s Shikari Mata Fruit Co.	29.5.2014	3000
4.	33	M/s Kamal Fruit Co.	1.7.2014	10000
5.	35	M/s J.K. Fruit Co.	1.1.2014	5500
6.	38	M/s Shyam Lal Thakur	10.7.2014	2753

11. नियमानुसार किरायेदारों का किराया न बढ़ाने के कारण समिति को ₹3.63 लाख की वित्तीय हानि :–

कृषि उपज मण्डी समिति के धनोटू यार्ड के दुकानदारों के अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिशिष्ट–(घ) में वर्णित किरायेदारों से नियमानुसार तीन वर्षों की अवधि के उपरान्त भी किराया बढ़ाकर नहीं वसूला जा रहा है, जबकि अनुबन्ध की शर्तोंनुसार ऐसा किया जाना अपेक्षित था। इस अनियमितता के कारण कृषि उपज मण्डी समिति को लगातार वित्तीय हानि हो रही है तथा निवेश के तौर पर ब्याज से मिलने वाली राशि से भी वन्चित होना पड़ रहा है। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्य यार्डों के स्वरूप प्रकरणों सहित इस प्रकार के सभी प्रकरणों में नियमानुसार अनुबन्ध की शर्तानुसार निर्धारित समय अवधि के उपरान्त किराया बढ़ाकर इसकी वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. कांगणी यार्ड के दुकानदारों द्वारा मासिक किराये की राशि नियमित रूप से न देने के कारण ब्याज के रूप में ₹0.58 लाख की हानि :–

कृषि उपज मण्डी समिति के कांगणी यार्ड के वर्ष 2014–15 के किराया रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि दुकानदारों द्वारा मासिक किराये की राशि नियमित रूप से देय तिथि/देय माह में न देकर आंशिक रूप से अदा की गई थी, जिससे न केवल प्राप्त राशि से अर्जित होने वाले ब्याज से वन्चित होना पड़ रहा है। साथ–साथ लम्बे अन्तराल तक किराया न देने की प्रथा भी शुरू हो रही है। अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि कांगणी यार्ड के दुकानदारों से हर महीने औसतन ₹657319 वसूली हेतु शेष थे परिशिष्ट (ड़) में दिए गए विवरणानुसार वसूली योग्य राशि पर सावधि जमा ब्याज की दर से एक वर्ष में लगभग ₹57678 की समिति को हानि हुई। अतः परामर्श दिया जाता है कि मासिक किराये की राशि को नियमित रूप से देय तिथि तक प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं, ताकि किराये की वसूली योग्य राशि भी शेष न रहे और ब्याज के रूप में मिलने वाली आय से भी वन्चित न होना पड़े; अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. अनाज थोक व्यापारियों द्वारा रिटर्न फार्म–10 में आयात किए गए माल की प्रविष्टियां दर्ज न करने के फलस्वरूप ₹0.47 लाख की सम्भावित हानि :–

कृषि उपज मण्डी समिति के पुंघ स्थित नाका चौकी में वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न फर्मों की अनाज आयात से सम्बन्धित प्रविष्टियों का उनके रिटर्न फार्म–10 से प्रविष्टियों का मिलान करने पर पाया गया कि व्यापारियों द्वारा रिटर्न में बिल संख्या व अनाज भेजने वाली फर्म का नाम दर्ज नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप रिटर्न फार्म में दर्ज प्रविष्टियों का आयात रजिस्टर से सही ढंग से मिलान नहीं हो पाया, जिन फर्मों द्वारा आयातित माल दर्ज ही नहीं किया गया या फिर कम मात्रा में दर्ज किया गया था, उनका ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट–(च) में दिया गया है के अनुसार ₹46999 की सम्भावित हानि हुई। अतः सम्बन्धित फर्मों की दर्ज नहीं की गई प्रविष्टियों की संस्था स्तर पर अपेक्षित जांच/निर्धारण करके मण्डी शुल्क की दण्ड शुल्क सहित वसूली की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14. लाईसेंस धारकों द्वारा लाईसेन्स का नवीनीकरण न करवाने पर समिति द्वारा कोई कार्यवाही न करना :–

विपणन समिति के वर्ष 2014–15 के लाईसेन्स से सम्बन्धित अभिलेख की छानबीन करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान परिशिष्ट–(छ) में दिए गए विवरणानुसार व्यापारियों/दुकानदारों द्वारा लाईसेन्सों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था, जिस सम्बन्ध में समिति द्वारा नियमानुसार उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। नियमानुसार ऐसे लाईसेन्सधारकों द्वारा लाईसेन्स का नवीनीकरण न करवाए जाने के कारणों की छानबीन की जानी अपेक्षित थी कि क्या इन लाईसेन्सधारकों द्वारा कारोबार बन्द कर दिया है अथवा उनके द्वारा बिना लाईसेन्स के ही कारोबार जारी रखा गया है। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित लाईसेन्सधारकों के विरूद्ध पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त लागू नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15. दुकानों से प्राप्त किराये पर नियमानुसार देय सेवाकर को किरायेदारों से वसूल न करने के फलस्वरूप समिति को आय में ₹13.30 लाख की हानि :–

कृषि उपज विपणन समिति द्वारा दिनांक 1.6.2007 से दुकानों/गोदामों से प्राप्त किराए पर नियमानुसार देय सेवाकर की वसूली नहीं की गई थी, जबकि समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार सेवाकर का भुगतान समिति खाते से कर दिया गया। अतः सेवाकर की राशि को दुकानों/गोदामों के किरायेदारों से न वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित प्राधिकरण से भी स्पष्टीकरण प्राप्त करके यह सुनिश्चित किया जाए कि क्या वास्तव में दुकानों/गोदामों के

किरायेदारों से नियमानुसार सेवाकर की वसूली करनी अपेक्षित है, यदि यह वसूली करनी अनिवार्य है, तो नियमानुसार देय सेवाकर की वसूली किरायेदारों से करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वा0 सं0	दिनांक	सेवाकर की अवधि	भुगतान की गई राशि
43	29.4.2014	1.6.2007 से 30.9.2011	698388
332	25.11.2014	1.10.2012 से 30.9.2013	631815
		कुल योग	**₹1330203**

16. कृषि उपज विपणन समिति के कांगणी यार्ड में स्थापित धर्मकांटे की बाडबन्दी पर ₹0.70 लाख का निरर्थक व्यय :–

कृषि उपज विपणन समिति के अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि समिति के कांगणी यार्ड में वर्ष 2010 के दौरान ₹682193 का व्यय करके धर्मकांटे स्थापित किया था, जिसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में गत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन में मामला प्रन्बन्ध निदेशक, हि0प्र0 राज्य विपणन बोर्ड शिमला के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया गया था। अभिलेख की छानबीन करने पर पाया गया कि वर्ष 2014–15 में उपरोक्त धर्मकांटे की बाडबन्दी पर ₹70000 का अतिरिक्त व्यय कर दिया गया, जोकि अनियमित है। अतः खराब पड़े धर्मकांटे की बाडबन्दी पर किए गए अतिरिक्त व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा धर्मकांटे को कार्य करने योग्य हालत में रखकर यार्ड में नापतोल की सुचारू व प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17. प्रतिभूति राशि के लिए अलग से लेखा/रजिस्टर तथा बैंक खाते का रख–रखाव न करना :–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि किराए पर दी गई दुकानों से सम्बन्धित विभिन्न दुकानदारों से प्रतिभूति के तौर पर दिनांक 31.3.2015 तक ₹2686745 समिति निधि में जमा हुई थी, जिसका अलग से लेखा/रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं ओद्यौगिकीय उपज (वित्तीय) नियमावली–207 के नियम 11 के अनुसार प्राप्त प्रतिभूति की राशि को समिति निधि में न जमा करवा कर इसका अलग से लेखा/रजिस्टर का रख–रखाव व बैंक खाता रखना अपेक्षित था। अतः इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि प्रतिभूतियों की राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की वापसी योग्य प्रतिभूति राशियों का रख–रखाव नियमानुसार किया जाए तथा

इसका विस्तृत लेखा–जोखा प्रतिभूति रजिस्टर में करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18. लाईसैन्सधारी व्यापारियों द्वारा फार्म–(ओ) के साथ फार्म–(आर) व फार्म–(क्यू) प्रस्तुत नहीं करना :–

विपणन विधेयक अधिनियम 2005 व नियम 2006 की धारा 30(17) की अनुपालना में सभी कमीशन अभिकर्ता द्वारा रिर्टन से सम्बन्धित फार्म–(ओ) के साथ फार्म–(आर) व फार्म–(क्यू) जमा करवाने अनिवार्य होते हैं। मण्डी समिति के व्यापारियों द्वारा कई मामलों में फार्म–(ओ) के साथ फार्म (आर) व फार्म–(क्यू) संलग्न नहीं किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उक्त सभी फार्म में किए गए व्यापार की मात्रा, बिल सं0, सही ढंग से नहीं लिखे जाते हैं। अतः समिति द्वारा फार्म–(आर) व फार्म–(क्यू) को भरा जाना सुनिश्चित करवाया जाए, ताकि व्यापारियों द्वारा किए गए क्रय–विक्रय की मात्रा व राशि इत्यादि का सत्यापन सम्भव हो सके।

19. वाहन संख्याः एच0पी0–33सी–8882 की अवधि 1/2015 से 3/2015 की औसत न निकालने व वाहन में क्षमता से अधिक डीजल भरवाने बारे :–

कृषि उपज मण्डी समिति के वाहन संख्याः एच0पी0–33सी0–8882 की लॉगबुक की जांच करने पर पाया गया कि माह 1/2015 से वाहन की मासिक औसत नहीं निकाली गई थी। इसके अतिरिक्त जांच में यह भी पाया गया कि माह 2/2015 व 3/2015 के दौरान गाड़ी के टैंक क्षमता 55 लीटर से अधिक डीजल भरवाया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

लॉगबुड अनुसार दिनांक 31.12.2014 को टैंक में शेष डीजल	39 लीटर
माह 1/2015 में भरवाया गया डीजल	70.71 लीटर
माह 2/2015 में भरवाया गया डीजल	111.30 लीटर
माह 3/2015 में भरवाया गया डीजल	194.15 लीटर
दिनांक 31.3.2015 तक कुल डीजल	**415.16 लीटर**
दिनांक 31.12.2014 को गाड़ी की कि0मी0	10480
दिनांक 31.3.2015 को गाड़ी की कि0मी0	13644
दिनांक 1.1.2015 से 31.3.2015 तक गाड़ी चली	3164
वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा तय औसत के आधार पर डीजल की दिनांक 31.3.2015 तक खपत	3164–12=263.66
दिनांक 31.3.2015 को शेष डीजल	151.50
गाड़ी के टैंक की क्षमता	55.00
गाड़ी के टैंक के अतिरिक्त भरवाया गया तेल	96.50

उक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि वाहन में माह 2/2015 से डीजल टैंक की क्षमता 55 लीटर से अधिक डीजल भरा दर्शाया था, जोकि तर्कसंगत नहीं है। अतः इस प्रकरण की समिति

द्वारा जांच–पड़ताल कर ठोस तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व लॉगबुक में मासिक औसत लेखा तैयार कर अधिक संदिग्ध डीजल दुरूपयोग की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए।

20. वाहन संख्याः एच0पी0–33–7625 व एच0पी0–33(c)–8882 द्वारा की गई यात्रा के प्रवास कार्यक्रम सक्षम अधिकारी से अनुमोदित न करवाने बारे :–

कृषि उपज विपणन मण्डी के वाहन संख्याः एच0पी0–33–7625 व एच0पी0–33–8882 की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 की लॉगबुक की जांच करने पर पाया गया कि समिति के अधिकारियों द्वारा वर्ष में लगभग 11310 किलोमीटर की यात्रा 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर की गई थी, जिसके प्रवास कार्यक्रम को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाया गया था। हिमाचल प्रदेश कृषि और औद्योनिकीय उपज विपणन (वित्तीय नियम 2006 के नियम 4(3) के अनुसार अधिकारियों के प्रवास कार्यक्रम हि0प्र0 विपणन बोर्ड से अनुमोदित होने अपेक्षित थे। ऐसे सभी मामलों का विवरण परिशिष्ट–(ज) में दिया गया है। अतः उक्त प्रवास से सम्बन्धित कार्यक्रम को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21. प्रत्यक्ष सत्यापन बारे :–

कृषि उपज मण्डी समिति के भण्डार रजिस्टरों में चल–अचल सम्पत्ति/वस्तुओं के दर्शाए गए शेषों का गत वर्षों से प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22. पूर्वांकेक्षण में प्रस्तुत बिलों में की गई ₹4700 की कटौती बारे :–

मण्डी समिति मण्डी द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 के दौरान अंकेक्षण में प्रस्तुत बिलों में से पूर्वांकेक्षण के दौरान ₹4700 की कटौतियां की गई हैं। उपरोक्त दर्शाई गई कटौतियों के अतिरिक्त विभिन्न बिलों को पारित करने से पूर्व व उनमें पाई गई अनियमितताओं बारे सचिव महोदय को अवगत करवाकर आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही बिलों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने को कहा गया, जिससे समिति के लाखों रूपये के अपव्यय को रोककर मण्डी समिति को होने वाली वित्तीय हानि को रोका गया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण द्वारा विभिन्न वित्तीय मामलों में भी समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों को समय–समय पर दिशा–निर्देश/मार्ग दर्शन दिया गया है।

23. **लघु आपत्ति विवरणिका :—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

24. **निष्कर्ष :—**

लेखाओं के रख—रखाव में सुधार की आवश्यकता है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों के समायोजन हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन, खण्ड—6— 5813—5816, दिनांकः 08.11.2016, शिमला—171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत

1. सचिव, कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि व इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करे।
2. प्रबन्ध निदेशक, विपणन बोर्ड विपणन भवन खलीणी शिमला—171002
3. विशेष सचिव (कृषि), हि0प्र0 सरकार शिमला—171002
4. अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना, कृषि उपज विपणन समिति मण्डी जिला मण्डी हि0प्र0

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पैरा 1(ध) के सन्दर्भ में परिशिष्ट–क

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी स्थित कांगणी के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित पैरा/आपत्तियों के अनुसार मण्डी शुल्क के रूप में वसूलियां न करना, बिना लाईसैन्सधारकों से कम्पाउंड शुल्क की वसूली न करना, दुकानों से किरायों की बकाया राशि की वसूली न करना व अन्य अनेक आपत्तियां उजागर की गई हैं। इन प्रतिवेदनों में शामिल गम्भीर अनियमितताओं तथा वसूलियों के प्रकरणों में तुरन्त उचित कार्रवाई किए जाने की नितांत आवश्यकता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि वित्तीय अनियमितताओं एवं वसूलियों से सम्बन्धित सभी पैरों के अतिरिक्त अन्य पैरों के निपटारे हेतु प्रभावी ढंग से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1993 से 3/1999

1.	पैरा संख्या 5 (क)	अनिर्णीत
2.	पैरा संख्या 13	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1.	पैरा संख्या 11 (ग)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1.	पैरा संख्या 6	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1.	पैरा संख्या 10 (ख)	अनिर्णीत
2.	पैरा संख्या 12	अनिर्णीत
3.	पैरा संख्या 16	अनिर्णीत
4.	पैरा संख्या 17 (ख)	अनिर्णीत
5.	पैरा संख्या 9 (11)(15)(16)(18)	अनिर्णीत
6.	पैरा संख्या 22	अनिर्णीत
7.	पैरा संख्या 23 (ख)	अनिर्णीत
8.	पैरा संख्या 24 (3)	अनिर्णीत

(ङ.) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1. पैरा संख्या 7 अनिर्णीत
2. पैरा संख्या 7 (क)(2,3,4) अनिर्णीत
3. पैरा संख्या 9 अनिर्णीत
4. पैरा संख्या 15 अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1. पैरा संख्या 10 (3, 4) अनिर्णीत
2. पैरा संख्या 11 अनिर्णीत
3. पैरा संख्या 15 अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1. पैरा संख्या 7 अनिर्णीत
2. पैरा संख्या 11 अनिर्णीत
3. पैरा संख्या 12 अनिर्णीत
4. पैरा संख्या 13 अनिर्णीत
5. पैरा संख्या 14 अनिर्णीत
6. पैरा संख्या 15 अनिर्णीत
7. पैरा संख्या 16 अनिर्णीत
8. पैरा संख्या 18 (i) (ii) अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1. पैरा संख्या 7 अनिर्णीत
2. पैरा संख्या 8 अनिर्णीत
3. पैरा संख्या 11 अनिर्णीत
4. पैरा संख्या 13 निर्णीत

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1. पैरा संख्या 6 अनिर्णीत
2. पैरा संख्या 8 अनिर्णीत
3. पैरा संख्या 10 अनिर्णीत
4. पैरा संख्या 14 अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1.	पैरा संख्या 5 (ii)(iii)	अनिर्णीत
2.	पैरा संख्या 7	अनिर्णीत
3.	पैरा संख्या 8	अनिर्णीत
4.	पैरा संख्या 9 (i)(ii)(iii)	अनिर्णीत
5.	पैरा संख्या 10	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1.	पैरा संख्या 7	अनिर्णीत
2.	पैरा संख्या 8	अनिर्णीत
3.	पैरा संख्या 9 (क, ख)	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1.	पैरा संख्या 8	अनिर्णीत
2.	पैरा संख्या 9	अनिर्णीत
3.	पैरा संख्या 11	अनिर्णीत

(ड़) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1.	पैरा संख्या 3	निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क)
2.	पैरा संख्या 4	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
3.	पैरा संख्या 5	अनिर्णीत
4.	पैरा संख्या 6	अनिर्णीत
5.	पैरा संख्या 7	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
6.	पैरा संख्या 8	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
7.	पैरा संख्या 9	अनिर्णीत
8.	पैरा संख्या 10	अनिर्णीत
9.	पैरा संख्या 11	अनिर्णीत
10.	पैरा संख्या 12	अनिर्णीत
11.	पैरा संख्या 13	अनिर्णीत
12.	पैरा संख्या 14	अनिर्णीत
13.	पैरा संख्या 15	अनिर्णीत

14.	पैरा संख्या 16	अनिर्णीत
15.	पैरा संख्या 17	अनिर्णीत
16.	पैरा संख्या 18	अनिर्णीत
17.	पैरा संख्या 19	अनिर्णीत
18.	पैरा संख्या 20	अनिर्णीत
19.	पैरा संख्या 21	अनिर्णीत
20.	पैरा संख्या 22	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का सार

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार अनिर्णीत पैरे	66
वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए पैरे	(+)20
अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	(−)4
अन्तशेष (दिनांक 31.3.2015 तक)	**82**